तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.10.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा,सदस्य** उपस्थितः— (1) श्री प्रदीप विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा उप राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंटस की ओर से **निर्णय दिनांक :** यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2) The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act,1973 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.2.2003के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2— अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने नये सीलिंग अधिनियम 1973 के तहत पारित अपने निर्णय दिनांक 7—1—91 में अपीलांट के पास कुल भूमि 8.01 बीघा नहरी व 62.13 बीघा अनकमाण्ड भूमि मान कर सलिंग की कार्यवाही समाप्त करदी । इसके बाद जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार के समक्ष उपखण्ड अधिकारी सूतरतगढ के निर्णय दिनांक 7—1—91 में दिये गये निर्णय के विरुद्ध नये सीलिंग कानून राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु सिफारिश की जिस पर राज्य सरकार ने प्रकरण को पुनः खोलने हेतु अपने आदेश दिनांक 9—2—93 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर को निर्देशित कर सीलिंग प्रकरण को पुनः खोल कर व अपीलार्थी /अप्रार्थी मनफूलराम को सुनवाई का नियमानुसार अवसर देते हुए पुनः निर्णय करने का आदेश दिया।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज** **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण को पुनः खोलते हुए सीलिंग रि–ओपन प्रकरण संख्या 1 / 93 नया कानून के तहत मनफूलराम के नाम से प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी मनफूलराम को नोटिस दिया तथा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अपने निर्णय दिनांक 13–2–2003 को पारित कर अपीलांट के नाम नये कानून में 9.17 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मान कर अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। इसमें अतिरिक्त कलेक्टर ने अपीलांट के पास 60.18 बीघा नहरी व 10बीघा बरानी भूमि मान कर निर्णय कर दिया तथा सिचाई विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर 13 एसटीबी के सिचाई घनत्व का प्रतिशत 85.14 तथा चक 17 एसटीबी के सिचाई घनत्व का 132,28 प्रतिशत मानते हुये निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलांट की ओर से हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– अपील पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि जब अपीलांट के पास विवादित आराजी भाखडा नहर की है जिसमें सिचाई घनत्व का प्रतिशत 62.10 निर्धारित है। इस क्षेत्र में अलग से सिचाई घनत्व की रिपोर्ट नही ली जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त कलेक्टर ने पुराने सीलिंग कानून के तहत भी भूमि का आंकलन किया है जिसमें दोनो चकों 17 एसटीबी एवं 13 एसटीबी की कुल 52.18 बीघा नहरी व 18 बीघा बारानी भूमि मानी है। लेकिन नये कानून के चक 17 एसटीबी की भूमि अलग अलग मानकर व अलग अलग सिचाई घनत्व के अनुसार निर्णय दिया है तथा अपीलांट के पास 60.10 बीघा भूमि नहरी व 10बीघा बारानी भूमि मान कर आदेश दिया है जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि दिनांक 1–1–73 को तथा 1–4–66 को अपीलांट के पास भूमि 52.18 बीघा नहरी व 18 बीघा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बारानी की मानकर ही गणना की जानी चाहिए और भाखडा नहर परियोजना में सीलिंग सीमा 62.08 बीघा है तथा इसी गणना में भूमि मानी जानी चाहिए थी। चूॅकि अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही बनती है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–2–03 गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेंट का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा अपीलांट के नये सीलिंग कानून के तहत दिनांक 7–1–91 को निर्णित सीलिंग प्रकरण संख्या 37/89 को पुनः खोला गया है तथा राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी मनफूलराम के विरुद्ध नये सीलिंग कानून की धारा 15 (1) क तहत कार्यवाही कर प्रकरण रि ओपन किया गया है। इसलिए प्रकरण पर नये सीलिंग कानून के प्रावधान ही लागू होंगे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में जो विवेचन कर निर्णय पारित किया है, उचित व कानून सम्मत है,जिसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया।

8– अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण को पुनः खोलते हुए सीलिंग रि–ओपन प्रकरण संख्या 1/93 नया कानून के तहत मनफूलराम के नाम से प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी मनफूलराम को नोटिस दिया तथा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अपने निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज** **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13–2–2003 को पारित कर अपीलांट के नाम नये कानून में 9.17 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मान कर अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। इसमें अतिरिक्त कलेक्टर ने अपीलांट के पास 60.18बीघा नहरी व 10बीघा बरानी भूमि मान कर निर्णय किया है तथा सिचाई विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर 13 एसटीबी के सिचाई घनत्व का प्रतिशत 85.14 तथा चक17एसटीबी क सिचाई घनत्व का 132.28 प्रतिशत मानते हुये निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलांट की ओर से हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

9– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब अपीलांट के पास विवादित आराजी भाखडा नहर की है जिसमें सिचाई घनत्व का प्रतिशत 62.10 निर्धारित है तो इस क्षेत्र में अलग से सिचाई घनत्व की रिपोर्ट नही ली जा सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त कलेक्टर ने पुराने सीलिंग कानून के तहत भी भूमि का आंकलन किया है जिसमें दोनो चकों 17 एसटीबी एवं 13 एसटीबी की कुल 52.18 बीघा नहरी व 18 बीघा बारानी भूमि मानी है। लेकिन नये कानून के चक 17 एसटीबी की भूमि अलग अलग मानकर व अलग अलग सिचाई घनत्व के अनुसार निर्णय दिया है तथा अपीलांट के पास 60.10 बीघा भूमि नहरी व 10बीघा बारानी भूमि मान कर आदेश दिया है जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि दिनांक 1–1–73 को तथा 1–4–66 को अपीलांट के पास भूमि 52.18 बीघा नहरी व 18 बीघा बारानी की मानकर ही गणना की जानी चाहिए और चूँकि भाखडा नहर परियोजना में सीलिंग सीमा 6.2 08 बीघा है तथा गणना भूमि मानी जानी चाहिए थी । भाखडा नहर परियोजना में सीलिंग सीमा 62.08 बीघा है जिसकी गणना निम्न प्रकार की जा रही ।

1– नहरी भूमि दोनो चकों की – 52.18 बीघा
2– 18 बीघा बारानी भूमि को नहरी
भूमि में परिवर्तन करने पर 3.12 बीघा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार कुल —56.10 बीघा

10— स्पष्ट है कि अपीलांट के पास कुल भूमि 56.10बीघा बनती है जबकि एक पारिवार के लिए 62.08 बीघा भूमि रखने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही है। पत्रावली पर उपलबध रिकार्ड से स्पष्ट है कि मनफूलराम के पारिवार में 1—1—1973 को कुल 7 सदस्य थे। इस प्रकार अति0 जिला कलेक्टर ने अपीलांट के पारिवार की रिपोर्ट लिये बिना ही निर्णय पारित किया है। जबकि उसके परिवार में कुल 7 सदस्य है जिनमें दो अतिरिक्त सदस्य 12.08 बीघा प्रत्येक को रखने का अधिकार है ।इस प्रकार अपीलांट का परिवार 62.08 व 24.16 कुल 85.05 बीघा भूमि रख सकता है। इस प्रकार सदस्यों की संख्या के आधार पर भी अपीलांट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही है।

11— इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि नये कानून में बालिग पुत्र को अतिरिक्त इकाई देने का प्रावधान धारा 4(2) नये कानून के अनुसार अलग इकाई देने का प्रावधान है और अपीलांट के परिवार में उसका लडका रामस्वरुप 1—1—1973 को बालिग था और उसकी उम्र 30वर्ष थी। इस तथ्य पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोई निर्णय नही दिया है। जिस आधार पर भी अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही है। यह भी स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सिचाई विभाग से रिपोर्ट संख्या 54—55 दिनांक 7—9—2002 के आधार पर चक 13 एसटीबी की भूमि सिचाई का घनत्व 85.14 प्रतिशत माना है तथा चक 17 एसटीबी की भूमि का सिचाई का घनत्व 132.28 प्रतिशत माना है जबकि 100 प्रतिशत से अधिक होता ही नही हे। इस प्रकार दोनो फसलों का प्रतिशत का औसत लिया जावे तो 13 एसटीबी का सिचाई घनत्व 42.52 प्रतिशत बनता हैतथा चक 17 एसटीबी का औसत घनत्व 66.14 प्रतिशत बनता है। यदि इस प्रकार से भी गणना की जावे तब भी अपीलांट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही बनती है। लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपीलांट की भूमि की सिचाई घनत्व की रिपोर्ट गलत मंगवाई है क्योकि भाखडा नहर परियोजना में सिचाई घनत्व 62.10 प्रतिशत निश्चित किया हुआ है और सिचाई का घनत्व वर्ष 1972—73 के आधार पर लिया जाता है। परन्तु यहा जो रिपोर्ट की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गयी है वह 7–9– 2002 की है जिसमें यह नही बताया है कि यह सिचाई घनत्व किस वर्ष का है। इस प्रकार यदि 62.10 प्रतिशत के हिसाब से गणना की जावे तो निम्न प्रकार की गणना की जा रही है।

कुल नहरी भूमि 52.18 बीघा

62.10 प्रतिशत से गणना– 52.18 x $\frac{62.10}{100}$ =32.40 बीघा 100 प्रतिशत

शेष भूमि सुखी(dry land) 52.90–32.40 = 20.50 बीघा

कुल dry land = 20.50+18 बीघा बारानी =38-50 बीघा

dry land को 100 प्रतिशत सिंचित भूमि मे परिवर्तन करने पर

38.50 बीघा x 3/16=7.20 बीघा 100 प्रतिशत

इस प्रकार कुल सिंचित भूमि 100 प्रतिशत

एक फसली = 32.40+7.20 =39.60.= 39.12बीघा(39बीघा 12 बिस्वा)

12– इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय में भाखडा नहर की निश्चित सिचाई घनत्व के आधार पर की गयी गणना के अनुसार भी अपीलार्थी के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नही है। सिचाई घनत्व की गणना माननीय न्यायालय के निर्णय 1976 आरआरडी पेज 508 शीर्षक ख्यालीराम बनाम सरकार में सिचाई घनत्व के आधार पर ही गणना की गयी है।

13– अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही बनती है । परिणामस्वरुप हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर अतिरक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–2–2003 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज** **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज** **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर
मनफूल बनाम सरकार

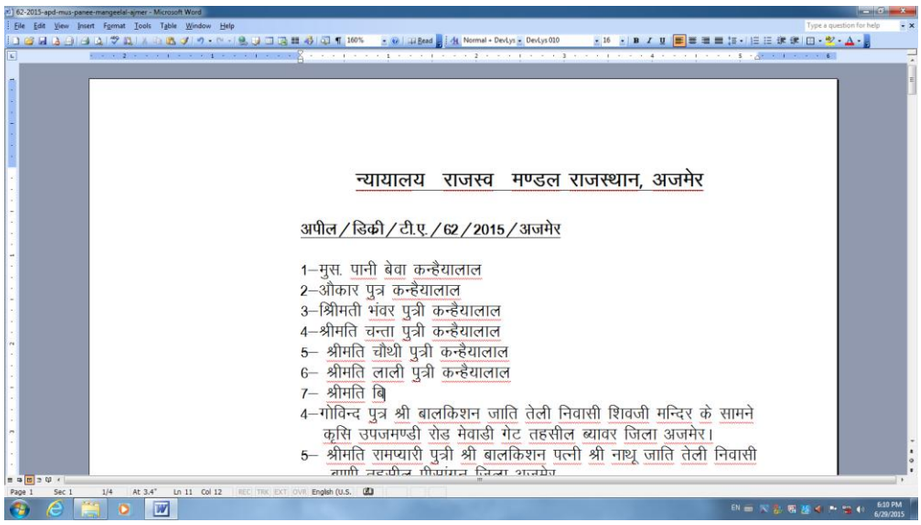

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./62/2015/अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–औंकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कूसि उपजमण्डी रोड मेवाड़ी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज **अपील/सीलिंग/1137/2003/गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/ रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी। 9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर मनफूल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(बी. एस. गर्ग) सदस्य (अशोक कुमार सांवरिया) सदस्य	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज** **अपील / सीलिंग / 1137 / 2003 / गंगानगर** **मनफूल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए